UPAG010059812026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2535/2026

श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी सुरेश चन्द जैन, निवासी–एफ–197 फेज–2, ट्रांसयमुना कॉऋणी, रामबाग, यमुनाब्रिज, थाना–एत्माद्दौला, जिला आगरा, उम्र करीब–66 वर्ष।

.....अभियुक्ता

प्रति

राज्य ..... अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0–152/2026
धारा–318(4), 320, 321, 322, 323, 338 भारतीय न्याय संहिता
थाना–हरीपर्वत, जिला आगरा।

दिनांकः–23.06.2026

पुलिस थाना हरीपर्वत, जिला आगरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–152/2026 अन्तर्गत धारा–318(4), 320, 321, 322, 323, 338 भारतीय न्याय संहिता में वांछित अभियुक्ता श्रीमती पुष्पा देवी की ओर से धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि न्यायालय के समक्ष प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उसे तंग व परेशान करने की नीयत से झूंठा फंसाया गया है जबकि आवेदिका/अभियुक्ता ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदिका/अभियुक्ता पूर्णतः निर्दोष है। आवेदिका/अभियुक्ता को उसकी गिरफ्तारी होने की पूर्ण आशंका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराये गये तथ्य झूंठे, मनगढ़न्त, बेबुनियाद व आधारहीन हैं। वादी मुकदमा द्वारा अन्तर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना हाजा पर दिनांक 24.05.2026 को रिपोर्ट दर्ज हुई है। उक्त प्रार्थनापत्र तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्ता का नाम दर्शाया गया है। वादी द्वारा झूंठी कहानी बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उपरोक्त मुकदमा लिखाया गया है। सम्बन्धित थाना द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन संख्या–21259/2012 योजित की गई जिसे

दिनांक 10.05.2012 को स्टे दिया गया जो जारी है। कार्यपाल मजिस्ट्रेट/पुलिस उपायुक्त नगर जोन, आगरा द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 13.01.2025 के अनुसार विवादित सम्पत्ति को नियमानुसार अजय कुमार व रवि कुमार के पक्ष में अवमुक्त किया गया। सम्बन्धित बैंक द्वारा अभियुक्ता के विरुद्ध डी.आर.टी. में डायरी संख्या–2153/2022 केस टाइप ओ.ए./119/2023 दिनांकित 05.11.2022 दाखिल किया गया है जो लम्बित है। एक अन्य मुकदमा सुरेशचन्द जैन आदि बनाम पुष्पा देवी आदि मुकदमा संख्या–883/2023 न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), आगरा में लम्बित है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा स्वयं कोई ऋण नहीं लिया गया है, वह केवल ऋण में गारण्टर है, उसके द्वारा गारण्टी में लगाई गई सम्पत्ति पूर्ण रूप से सही है। अतएव अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार अरविन्द कुमार डिप्टी मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आर.एम.एस.एम.ई.सी.सी. शाखा संजय प्लेस, आगरा द्वारा इस आशय की तहरीर दी गयी कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आर.एम.एस.एम.ई.सी.सी. शाखा संजय प्लेस, आगरा से दिनांक 26.03.2019 को विपक्षीगण/अभियुक्तगण मनोज कुमार, श्रीमती स्नेह लता, रवि कुमार जैन, श्रीमती पुष्पा देवी एवं अजय जैन द्वारा एक भागीदारी फर्म मै0 एम.एस. बर्तन भण्डार नाम की कम्पनी बनाकर एक करोड़ तीस लाख रूपये का ऋण स्वीकृत कराया गया था। उक्त ऋण के बावत अभियुक्तगण/खाताधारकों द्वारा अपनी–अपनी सम्पत्तियों को बैंक के पास बन्धक रखा था तथा बैंक के समक्ष अपनी कम्पनी के समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई.टी.आर. रिटर्न, जी.एस.टी. इत्यादि दिये थे। अभियुक्तगण द्वारा बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण धनराशि का कुछ समय मासिक किश्तों का भुगतान करने के बाद ऋण की ई.एम.आई. देना बन्द कर दिया जिसके कारण प्रथम बार उक्त ऋण खाता दिनांक 28.11.2021 को एन.पी.ए. हो गया, उसके बाद विपक्षीगण द्वारा अनियमित रूप से खाते में धनराशि जमा कर उसे नियमित कराया गया, किन्तु उसके पश्चात् पुनः विपक्षीगण का खाता दूसरी बार ऋण धनराशि का भुगतान न होने के कारण दिनांक 04.03.2023 को एन.पी.ए. हो गया। उक्त के सम्बन्ध में बैंक द्वारा जांच कराने पर पता चला की अभियुक्तगण द्वारा बैंक के साथ धोखाधड़ी का अपराध कारित कर ऋण स्वीकृत कराकर ऋण धनराशि को हड़प लिया गया है। विपक्षीगण/अभियुक्तगण द्वारा उक्त ऋण प्राप्त करने हेतु प्लॉट नम्बर–35 कॉमर्शियल बिल्डिंग जो खसरा नम्बर–2690 पर अमर कुंज, ट्रांसयमुना काऋणी फेस–2, आगरा पर स्थित है तथा उपरोक्त सम्पत्ति के मालिक/विपक्षी रवि कुमार जैन है, द्वारा धोखाधड़ी का अपराध कारित किया गया है। उक्त सम्पत्ति के विक्रय विलेख की मूल प्रति जो कि खाताधारकों द्वारा बैंक में बन्धक के रूप में रखी गई है, कूटरचित दस्तावेज है। जांचोपरान्त पता चला कि उपरोक्त दस्तावेज केनरा बैंक में भी बैंक के ऋण स्वीकृत होने से पूर्व बन्धक थे तथा उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में केनरा बैंक की ऋण धनराशि का भी भुगतान नहीं किया गया था जिस कारण केनरा बैंक द्वारा दिनांक 05.12.2019 को उपरोक्त बन्धक सम्पत्ति को नीलामी द्वारा रेखा शर्मा को विक्रय कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा एक अन्य

सम्पत्ति प्लॉट संख्या–34 जो कि विपक्षी स्नेहलता एवं पुष्पा देवी के नाम पर है, पर भी इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का भार पाया गया है, ऐसा बैंक द्वारा जांचोपरान्त पाया गया है। बैंक द्वारा जांच करने पर अभियुक्तगण द्वारा बर्तन का कारोबार करने हेतु लिये गये ऋण पर बर्तन स्टाक निल पाया गया। विपक्षी संख्या–2 स्नेहलता द्वारा अपने को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मु0–30 लाख रु0 की ऋण धनराशि को अपने बचत खाते में ट्रांसफर करके धोखाधड़ी की गई है। फर्म का जी.एस.टी. नम्बर भी स्वतः कैन्सिल हो गया तथा एक पार्टनर की जन्म तिथि जो आधार कार्ड तथा पैन कार्ड में अंकित है, दोनों में अन्तर पाया गया। बैंक द्वारा अनेकों बार ऋण धनराशि को बैंक में जमा करने का मौखिक व लिखित रूप से आग्रह किया जा चुका है किन्तु खाताधारकों द्वारा बैंक की धनराशि का आज तक पूरा भुगतान नहीं किया गया है। दिनांक 30.03.2025 को उक्त खाते को फ्रॉड घोषित किया गया है।

वादी की तहरीर पर थाना–हरीपर्वत, आगरा पर मु0अ0सं0–152/2026 अन्तर्गत धारा–318(4), 320, 321, 322, 323, 338 भारतीय न्याय संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक आगरा द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित सभी अभियुक्तगण द्वारा एक भागीदारी फर्म बनाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक करोड़ तीस लाख रूपये का ऋण अपनी–अपनी सम्पत्तियों के कूटरचित दस्तावेजों को बन्धक के रूप में रखे गये जिन पर पहले भी ऋण लिये जा चुके हैं तथा एक सम्पत्ति की पूर्व में भी नीलामी हो चुकी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतएव अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैंने आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका/अभियुक्ता के साथ–साथ अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा एक साथ मिलकर एक भागीदारी फर्म बनाकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भारतीय स्टेट बैंक की कथित शाखा से एक करोड़ तीस लाखरूपये का ऋण प्राप्त किया जाना आक्षेपित है तथा प्राप्त किये गये ऋण की कुछ मासिक किश्ते अदा न किये जाने पर बैंक का खाता एन0पी0ए0 हो जाने पर पुनः उसे नियमित कराये जाने पर पुनः किश्तें अदा न किये जाने पर ऋण खाते के एन0पी0ए0 हो जाने पर बैंक द्वारा कराई गई जांच में विदित हुआ है कि सभी अभियुक्तगण द्वारा अपनी–अपनी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में दस्तावेजों की कूटरचना कर उन्हे बैंक के समक्ष बन्धक रखकर उक्त ऋण धोखाधड़ी कर प्राप्त किया गया जिनमें से आवेदिका/अभियुक्ता व अन्य सह अभियुक्ता स्नेहलता के नाम प्लॉट नं0 34 को पूर्व में इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं का ऋण भार भी पाया गया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–1 में वादी मुकदमा ने प्राथमिकी के तथ्यों का समर्थन किया है। आवेदिका/अभियुक्ता, अन्य सह अभियुक्तगण के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। अतः इस स्तर पर यह विनिश्चत

नहीं किया जा सकता कि आवेदिका/अभियुक्ता को प्रकरण में झूठा फंसाया गया हो एवं इस स्तर तक उपलब्ध प्रपत्रों एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर यह समाधान करने का पर्याप्त आधार नही है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कोई अपराध न किया गया हो अथवा उसे झूठा संलिप्त किया गया हो। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतएव अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता श्रीमती पुष्पा देवी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

ह0
(पुष्कर उपाध्याय)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
आगरा।
23.06.2026